न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर(राज0)

पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्र सिंह परमार, आर०ए०एस०

राजस्व प्रार्थना पत्र नं० 2/43
तारीख रज्जू 24.05.2019

2019
52

01– सुरजन सिंह पुत्र स्व० श्री रामसिंह जाति रायसिख
02– सरदार सिंह पुत्र स्व० श्री रामसिंह जाति रायसिख
03– रतन सिंह पुत्र स्व० श्री रामसिंह जाति रायसिख
04– जोगेन्द्र सिंह पुत्र स्व० श्री रामसिंह जाति रायसिख
निवासीयान ग्राम दादर तहसील मालाखेडा जिला अलवर

–प्रार्थीगण

बनाम

01– सुरजीत सिंह पुत्र स्व० बचनसिंह जाति रायसिंख
02– मंगलसिंह पुत्र स्व० बचनसिंह जाति रायसिंख
03– सतनाम पुत्र स्व० बचनसिंह जाति रायसिंख
04– सतनामो कौर बेवाह स्व० कुलवन्तसिंह जाति रायसिंख निवासी दादर तहसील मालाखेडा जिला अलवर
05– पूजा कौर पुत्री स्व० कुलवन्त सिंह जाति रायसिंख उम्र 10 साल नाबालिग बसरपरस्ती सतनामो कौर बेवाह स्व० कुलवन्तसिंह निवासी दादर माता खुद
06– राजूसिंह पुत्र स्व० कुलवन्तसिंह जाति रायसिंख उम्र करीब 8 साल नाबालिग बसरपरस्ती सतनामो कौर बेवाह स्व० कुलवन्तसिंह निवासी दादर माता खुद
07– सोमा कौर पुत्री स्व० कुलवन्तसिंह जाति रायसिंख उम्र करीब 5 साल नाबालिग बसरपरस्ती सतनामो कौर बेवाह स्व० कुलवन्तसिंह निवासी दादर माता खुद

सुरजन सिंह वगै० बनाम सुरजीत सिंह वगै०

सहायक कलक्टर
अलवर

Scanned by CamScanner

08– मायादेवी पुत्री स्व० बचनसिंह जाति रायसिंख

09– प्रितो बाई पुत्री स्व० बचनसिंह जाति रायसिंख

10– जसवन्त कौर पुत्री स्व० बचनसिंह जाति रायसिंख

11– अमरजीत सिंह पुत्र राणो बाई उर्फ राजो देवी रायसिंख निवासी बिठ्लपुर तहसील सोठ्वा जिला श्योपुर

12– कुलवन्त सिंह पुत्र स्व० श्री बलबीर सिंह

14– राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व० श्री बलबीर सिंह

15– शकुन्तला कौर पुत्री स्व० श्री बलबीर सिंह पत्नि रेशम सिंह

16– सुनिता कौर पुत्री स्व० श्री बलबीर सिंह

17– बचनो बाई उर्फ बचन कौर पत्नी स्व० श्री बलबीर सिंह जाति समस्त रायसिख निवासी दादर तहसील मालाखेडा

18– सन्तसिंह पुत्र हरनाम सिंह जाति रायसिख निवासी दादर तहसील मालाखेडा जिला अलवर

19– लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार मालाखेडा जिला अलवर

–असल अप्रार्थीगण

20– मु० प्यारो बाई बेवा स्व० रामसिंह जाति रायसिख निवासी दादर

21– वीराबाई पुत्री स्व० रामसिंह जाति रायसिख निवासी दादर तहसील मालाखेडा जिला अलवर **–तरतीबी अप्रार्थीगण**

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–188 राज० काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए व ऑर्डर 39 रूल 1–2 व

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 जा०दी० सपठित धारा 151 जा०दी०

–: निर्णय :– **दिनांकः 17.10.2019**

वादीगण द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए_व ऑर्डर 39

सहायक कलक्टर
अलवर

Scanned by CamScanner

रूल 1–2 सपठित धारा 151 जा०दी० प्रस्तुत किया। जिसका सूक्ष्य वृत्तान्त इस प्रकार है कि साबिक आराजी खसरा नंबर 516 रकबा 7 बिस्वा, 517 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 997 रकबा 0.09 है० 998 रकबा 0.45 है०, वाके ग्राम दादर तहसील मालाखेडा जिला अलवर में स्थित है। जो कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। प्रार्थीगण को यह आराजी अपने पिता रामसिंह की विरासत से प्राप्त हुई है। रामसिंह प्रार्थीगण संख्या 1 लगा० 4 व तरतीब अप्रार्थी संख्या 21 का पिता व तरतीबी अप्रार्थी संख्या 20 का पति था। वादग्रस्त आरजी के बाबत बचन सिंह पुत्र लालसिंह ने फर्जी व नुमायशी बयनामा धोखे व फरेब से बहका फुसला कर रामसिंह से दिनांक 03.10.1994 को तहरीर कराकर उप पंजीयक मालाखेडा के यहां तसदीक करा लिया। बचन सिंह उक्त आराजी की खरीद बाबत रूपयों की अदायगी नही की थी। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। प्रार्थीगण ने एक वाद बचन सिंह के विरूद्ध वाद संख्या 1/1/2000 दायर किया जिसका निर्णय 1.08.2000 को किया गया। जिसमें बचन सिंह द्वारा कराया गया बयनामा दिनांक 03.10.1994 को बातिल व बेअसर करार दिया गया। बचन सिंह ने उक्त वाद में इकबाल दावा दिनांक 09.05.2000 को पेश किया जिसके साथ एक शपथ पत्र भी इस आशय का पेश किया कि मैने रामसिंह को 86000/– रूपये की आदयगी नही की क्योंकि मेरे पास रूपये की व्यवस्था नही थी। इसलिए ना तो मैने उक्त आराजी पर कब्जा किया ओर ना ही मैने इंतकाल दर्ज कराया। उक्त आराजी पर प्रार्थीगण का ही कब्जा है। मेरा कोई कब्जा नही है। रजिस्ट्री बयनामा जो मेरे हक में की गई है उसे बातिल, बेअसर करार दे दी जावे जिसमें मुझे कोई आपत्ति नही है। इसके पश्चात बचनसिंह को देहान्त हो गया। बचनसिंह के वारिसान नानकी बाई, सुरजीत सिंह, मंगल सिंह, सतनाम सिंह, कुलवन्त सिंह, मायादेवी, प्रीतोबाई, जसवन्त कौर, राणोबाई ने विरासत का इंतकाल संख्या–2 अपने हक में गैर कानूनी तरीके से चढवा कर उक्त वादग्रस्त आराजी बलवीर सिंह पुत्र हरनाम सिंह व सन्तसिंह पुत्र हरनामा सिंह को जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा

सहायक कलक्टर
अलवर

Scanned by CamScanner

दिनांक 09.04.2013 को बेचान कर दिया। बचनसिंह के वारिसान नानकीबाई व उनके पुत्र व पुत्रियान को भली भॉति इस बात की जानकारी थी कि जो बचनसिंह ने बयनामा रामसिंह से कराया था वह निरस्त हो चुका है। इसके बावजूद भी नाजायज फायदा उठाते हुए बलबीर सिंह व सन्तसिंह को उक्त आराजी का बेचान कर दिया। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण का कब्जा है। बलबीर सिंह के वारिसान व सन्तसिंह उक्त आराजी का बेचान करने पर उतारू है एवं कब्जे काश्त में मजाहमत करते है। दिनांक 21.05.2019 को जबरन कब्जा करने की कोशित की एवं वादग्रस्त आराजी को बेचान करने की धमकी दी। यदि वादग्रस्त आराजी को रहन, बय, हिबे द्वारा बेचान कर दिया तो प्रार्थीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी। इस कारण प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थीगण को होगी। अप्रार्थीगण को पाबन्द करने बाबत न्यायालय को निवेदन किया।

प्रार्थीगण के वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं नापूर्ति होने वाली क्षति पाये जाने पर उभय पक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया कि वो हाल आराजी खसरा नम्बर 997 रकबा 0.09 है० एवं 998 रकबा 0.45 है० वाके ग्राम दादर तहसील मालाखेडा में प्रार्थीगण के हिस्से तक रिकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण जर्ये अधिवक्ता हाजिर अदालत आये। अप्रार्थी संख्या 13 लगा० 18 ने न्यायालय में उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 जाब्ता दीवानी सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी पेश कर निवेदन किया की प्रार्थीगण द्वारा वाद व प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। पूर्ववर्ती वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था, जो न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनाक 26.10.2015 को खारिज कर दिया गया। जिसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी महोदय के यहां पेश की हुई। पूर्ववर्ती वाद सुरजन सिंह बनाम नानकी बाई एवं विचाराधीन वाद में समान

सहायक कलक्टर
अलवर

Scanned by CamScanner

वाद विषय होने एवं समान पक्षकार होने के कारण हस्तगत वाद सुरजन सिंह बनाम सुरजीत सिंह वगै० में कार्यवाही स्थगित किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण द्वारा पेश किय गये वाद एवं प्रार्थना पत्र में कार्यवाही स्टे किये जाने की प्रार्थना की।

वादीगण/अप्रार्थीगण ने जवाब पेश कर निवेदन किया की प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने मनगढन्त तथ्यों के आधार पर प्रकरण को लम्बा करने की गर्ज से पेश किया है जो काबिल खारिज है। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने पूर्ववर्ती प्रार्थना पत्र में गलत तथ्य अंकित करते हुए वादी/अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज करवा दिया गया था। जिसकी अपील मा० राजस्व अपील अधिकारी, अलवर में विचाराधीन है। जिस कारण यह प्रार्थना पत्र झूठे व मनगढन्त तथ्य दर्ज कर पेश किया है। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने के कारण काबिल खारिज है मौजूदा वाद एवं पूर्ववर्ती वाद को समायोजित किया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है। जिसे न्यायालय को दोनो वादों का निस्तारण करने में सुविधा होगी। दोनो वादों को कन्सोलिडेट किये जाने का निवेदन किया जाकर प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र धारा 10 जाब्ता दीवानी सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी खारिज किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्षो के विद्वान अभिभाषकगणों की प्रार्थना पत्र धारा 10 जाब्ता दीवानी सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी पर बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी/प्रतिवादी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र धारा 10 जाब्ता दीवानी सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी स्वीकार कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किये जाने का निवेदन किया है। अभिभाषक अप्रार्थी/वादी ने अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र धारा 10 जाब्ता दीवानी सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी खारिज कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद कन्फर्म किये जाने का निवेदन किया।

सहायक कलक्टर
अलवर

Scanned by CamScanner

पत्रावली व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। उभय पक्षो के अभिभाषकगणों की प्रार्थना पत्र धारा 10 जाब्ता दीवानी सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी पर हुई बहस का मनन किया गया। अदालत इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि प्रार्थी/वादी का पूर्व में प्रार्थना पत्र सं० 2/85 सन् 2013 बउनवान सुरजन सिंह वगै० बनाम नानगी बाई वगै० अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जा चुका है, इस कारण प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 जाब्ता दीवानी स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थी/वादी के पक्ष में दिनांक 24.05.2019 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा वैकेट (Vacate) कर खारिज की जाती है। निर्णय आज दिनांक 17.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर बाद तकमील सलग्न मूल वाद रहे। सुनाया गया।

(देवेन्द्र सिंह परमार)
सहायक कलक्टर
अलवर

सहायक कलक्टर
अलवर

Scanned by CamScanner